जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक-03.02.2025

प्रेस नोट

एसओजी शामली व थाना कोतवाली शामली पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में नहेरु मार्केट स्थित शगुन ज्वैलर्स की दुकान से हुई चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए चोरी किये गये माल की शत प्रतिशत बरामदगी करते हुए 03 महिला अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार।

ज्ञात हो कि दिनांक 30.01.2025 को वादी श्री रोहित जैन पुत्र जितेन्द्र जैन निवासी मौहल्ला शिवगंज मंडी थाना कोतवाली शामली जनपद शामली ने नेहरू मार्केट स्थित अपनी ज्वैलरी की दुकान शगुन ज्वैलर्स से समय करीब 04.00 बजे सायं ग्राहक के रुम मे आयी 03 अज्ञात महिलाओं द्वारा स्वर्ण आभूषण 01 डिब्बा जिसमें टॉप्स थे चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर तहरीर दाखिल की गई। तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया । पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना का यथाशीघ्र अनावरण करते हुए अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एवं शत प्रतिशत बरामदगी किये जाने हेतु थानाध्यक्ष थाना कोतवाली शामली को निर्देशित किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 03.02.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चोरी की घटनाओं की रोकथाम एवं इममें लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी एवं उपरोक्त घटना के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में एसओजी शामली व थाना कोतवाली शामली पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में नहेरु मार्केट स्थित शगुन ज्वैलर्स की दुकान से हुई चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 महिला अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया तथा उनकी निशादेही पर चोरी किये गये शत प्रतिशत माल को मुजफ्फरनगर रोड़ स्थित मदर लैंड स्कूल के पास से बरामद कर लिया गया है। अभियुक्तागण की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्तागण के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

घटना का उद्देश्यः- गिरफ्तारी शुदा अभियुक्तागणों ने बताया कि हम तीनो मुजफ्फरनगर की रहने वाली है तथा आपस में एक दूसरे को जानती पहचानती है। दिनाक 30.01.2025 को हम तीनों चोरी की योजना बनाकर शामली में शाम करीब 04 बजे नहेरु मार्किट स्थित शगुन ज्वैलर्स की दुकान पर पहुंचकर ज्वैलरी देखने लेगे ओर हमनें ज्वैलर्स को अपनी बातो मे उलझा लिया। जब ज्वैलर्स अपनी तिजोरी से ज्वैलरी के भरे हुए प्लास्टिक के डिब्बे निकाल कर दिखाने लगा तो सुशीला ने ज्वैलरी से भरा एक प्लास्टिक का पारदर्शी डिब्बा जिसमे कानो के टॉप्स भरे हुए थे डिब्बे को उठाकर पीछे बैठी अपनी साथी रोशनी को दे दिया। गीता व सुशीला ने ज्वैलर्स को बातो मे लगा रखा था। जब काम पूरा हो गया तो हम लोग ज्वैलरी पसंद न आने का बहाना कर दुकान से बहार आ गये, वहा से हम तीनो ई-रिक्शा मे बैठकर एसटी तिराहे से आगे स्कूल के पास आये और पास के खन्डर मे खडी झांडियो मे उस डिब्बे को छिपाकर अपने घर चले गये थे। हम लोग गरीब आदमी है अपने आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु हम लोगों ने चोरी की थी ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तागण

1.गीता पत्नी अमित निवासी म0न0 411 रामपुरी कालोनी नियर सहारनपुर बस अड्डा थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।

2.रोशनी पत्नी स्व0 संजय निवासी मोहल्ला होली चौक रामपुरी थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।

3.सुशीला पत्नी स्व0 राजेन्द्र निवासी मौहल्ला लाडेवाला कब्रिस्तान वाली गली थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फनगर।

बरामदगी का विवरणः-
1.चोरी किये गये आभूषण 23 जोडे टॉप्स ।
प्रेस नोट
आमजनमानस के खोये हुए 31 अदद मोबाइल फोन (कुल अनुमानित कीमत लगभग 08 लाख रुपये) को बरामद कर उनके स्वामियों को किया गया सुपूर्द ।

पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम द्वारा आमजनमानस के खोये हुए मोबाइलों के संबंध में पुलिस कार्यालय/समस्त थानों से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के आधार पर सर्विलांस सेल जनपद शामली को गुमशुदा मोबाइल फोन की बरामदगी हेतु निर्देशित किया गया । जिसके क्रम में सर्विलांस सेल के अथक प्रयास से 31 अदद विभिन्न कम्पनियों के मल्टी मीडिया एन्ड्राएड मोबाइल हैन्डसेटों को बरामद करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई। बरामद किए गए मोबाइल सेटों की कुल क़ीमत लगभग 08 लाख रुपये है । बरामद मोबाइल सेटों को पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा आज दिनांक 03.02.2025 को पुलिस लाइन के सभागार में उनके स्वामियों को सुपुर्द किया गया। खोये हुए मोबाइल को वापस पाकर मोबाइल स्वामियों द्वारा पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया गया एवम् इस सराहनीय कार्य की भूरी-भूरी प्रशंसा की गई।

मोबाइल फोन बरामद करने वाली सर्विलांस टीम-
1.उ0नि0 श्री फतेह सिंह
2.है0का0 मोहित कुमार
3.है0का0 दीपक कुमार
4.का0 मनीष कुमार
5.का0 मोहित सांगवान
6.का0 सुशील बुटार

थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 500 ग्राम चरस बरामद

आज दिनांक 03.02.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 मादक पदार्थ तस्कर को अवैध 500

ग्राम चरस सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्ता-

1.रेशमा पत्नी वसीम निवासी मौहल्ला मौलानान कस्बा व थाना कांधला जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्ता उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 32/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना काँधला जनपद शामली।

2.-मु0अ0सं0 47/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना काँधला जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

अवैध 500 ग्राम चरस।

थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से अवैध चरस व 01 छोटा इलैक्ट्रोनिक कांटा बरामदः-

दिनांक 02.02.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए गये मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा सूचना पर 01 मादक पदार्थ तस्कर को अवैध 130 ग्राम चरस व 01 छोटा इलैक्ट्रोनिक कांटा सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.अफसर उर्फ छोटा पुत्र जुल्फान निवासी भूरा चुंगी कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 130 ग्राम चरस।

2.छोटा 01 इलैक्ट्रोनिक कांटा।

थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 03.02.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाने पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.सुधीर उर्फ कल्लू पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम राझड थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

थाना कैराना पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त सैन्टो कार बरामद।

ज्ञात हो कि दिनांक 16.01.2025 को थाना कैराना क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग को गाड़ी में बहला-फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने के संबंध में पीड़िता के परिजन द्वारा थाना कैराना पर नामजद लिखित तहरीर दाखिल की गई थी। दाखिला तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

आज दिनांक 03.02.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। कब्जे से 01 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त सैन्टो कार बरामद हुई है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त से बरामद सैन्ट्रो कार का मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत सीज किया गया है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.शब्बू उर्फ सद्दू पुत्र जमील निवासी ग्राम धलापड़ा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

1.मोबाइल फोन।

2.घटना में प्रयुक्त सैन्ट्रो कार रजि न0 HR06T6899(मोटर वाहन अधिनियम में सीजशुदा) ।

थाना बाबरी पुलिस द्वारा 01 वाहन चोर गिरफ्तार व 02 बाल अपचारी हिरासत में लिये, कब्जे से चोरी की गई मोटर साइकिल बरामदः-

ज्ञात हो कि दिनांक 28.01.2025 को वादी श्री राज सिंह पुत्र बनारसी निवासी ग्राम रघुनाथपुर थाना बाबरी जनपद शामली ने अपनी मोटर साइकिल सीटी 110 रजि न0 UP 19 K 4148 को अज्ञात चोर द्वारा चोरी करने के सम्बन्ध में थाना बाबरी तहरीर दाखिल की गई । दाखिला तहरीर के आधार पर थाना बाबरी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया । पुलिस अधीक्षक शामली ने घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तगण की यथाशीघ्र गिरफ्तारी हेतु थानाध्यक्ष थाना बाबरी को निर्देशित किया गया ।

दिनांक 02.02.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना बाबरी पुलिस द्वारा मिली सूचना के आधार पर कजरहेडी मन्दिर के पास से 01 वाहन चोर गिरफ्तार व 02 बाल अपचारी हिरासत मे लिये गये । जिनके कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद हुई है । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बाबरी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है । पूछताछ के दौरान तीनों ने बताया है कि चोरी करने के दौरान हम लोगो ने मोटर साइकिल की सीट कबाडी को बेच दी गई थी ओर मोटर साइकिल को भी टुकड़े टुकडे करके बेचने जा रहे थे ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त :-

1.सागर पुत्र सुभाष निवासी ग्राम कांजरहेड़ी थाना बाबरी जनपद शामली ।

बरामदगी का विवरणः-

1.चोरी की हुई मोटर साइकिल सीटी 110 रजि न0- UP 19 K 4148 ।

जिमनेजियम